कार्यालय जनपद न्यायाधीश, वाराणसी।

आदेश सं0 207/2022 नवम्बर 21 ,2022

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परिपत्र सं0 14/एडमिन 'डी' सेक्शन दिनांकित 15.10.2022 द्वारा जारी दिशा–निर्देश के परिप्रेक्ष्य में अधोहस्ताक्षरी द्वारा पारित आदेश सं0 200/2022 दिनांकित 01.11.2022 के अनुपालन में आदेश की प्रति नोटिस बोर्ड पर तथा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के **Official website** पर प्रकाशित किया गया था जिसमें अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिये गये निम्नलिखित निर्देशों का उल्लेख किया गया है।

01. उक्त सेवानिवृत्त कर्मचारी ने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो।
02. पुनर्नियुक्ति एक बार में 01 वर्ष के लिए होगी अथवा जब तक वह 65 वर्ष की आयु पूर्ण न कर लें।
03. उक्त सेवानिवृत्त कर्मचारी, जिसको पुनर्नियुक्ति प्रदान की जायेगी, को "अंतिम आहरित वेतन जिसमें से पेंशन की राशि घटाई जायेगी" के सिद्धान्त के आधार पर वेतन की धनराशि दी जायेगी।
04. सम्बन्धित कर्मचारी का पूर्व रिकार्ड और उसकी वार्षिक चरित्र पंजिका को ध्यान में रखते हुए उसे नियुक्ति प्रदान की जायेगी।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में आशुलिपिक संवर्ग से कुल 04 आवेदन पत्र, तृतीय श्रेणी संवर्ग से कुल 11 आवेदन पत्र व चतुर्थ श्रेणी संवर्ग से कुल 12 आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं।

उक्त के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरकर्ता के विश्राम कक्ष में आज दिनांक 19.11.2022 को सायं 4.30 बजे चयन समिति की बैठक आहूत की गई। जिसमें चयन समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि आशुलिपिक संवर्ग के पदों पर पुनर्नियुक्ति हेतु साक्षात्कार दिनांक 22.11.2022 को, तृतीय श्रेणी संवर्ग के पदों पर पुनर्नियुक्ति हेतु साक्षात्कार दिनांक 23.11.2022 को तथा चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पदों पर पुनर्नियुक्ति हेतु साक्षात्कार दिनांक 24.11.2022 को सांय 4.30 बजे आयोजित किया जायेगा। उक्त साक्षात्कार अधोहस्ताक्षरी के विश्राम कक्ष में आयोजित होगा। समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे नियत तिथि व समय पर अधोहस्ताक्षरी के विश्राम कक्ष में साक्षात्कार हेतु उपस्थित हों।

तद्नुसार सम्बन्धित सूचित हों।

21.11.2022

जनपद न्यायाधीश
वाराणसी।